RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक ७] सोमवार, मार्च १४, २०१६/फाल्गुन २४, शके १९३७ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १४ मार्च, २०१६ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. VII OF 2016.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ७, सन् २०१६।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१६, २ मार्च २०१६ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १९६१ का महा. २४ ।

सन् २०१६ का महा. अध्या. ५ ।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सडसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) यह २ मार्च, २०१६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है), की धारा २ के खण्ड (१४-क) के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४।

" (१४-क) " कृत्यकारी निदेशक " का तात्पर्य, समिति द्वारा नामनिर्देशित प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है चाहे जो भी नाम से पुकारा जाए ;" ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ ककक में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ७३ ककक की, उप-धारा (२) में,—

(क) द्वितीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखे जायेगें, अर्थात् :—

" परंतु आगे यह कि, समिति, कृत्यकारी निदेशक के रूप में एक व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगी :

परंतु यह भी कि, ऐसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग के मामले में जहाँ संस्था के स्थायी वैतनिक कर्मचारियों की संख्या पच्चीस या अधिक है तो राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे अधिसूचित कर सकेगी, समिति में,—

(एक) जहाँ समिति ग्यारह सदस्यों से अनधिक सदस्यों से गठित है, संस्था के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि है ;

(दो) जहाँ समिति ग्यारह सदस्यों से अधिक तथा इक्कीस से अनधिक सदस्यों से गठित है, संस्था की कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि, शामिल होंगे।

कर्मचारियों के ऐसे प्रतिनिधि, महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम या महाराष्ट्र व्यापार संघ मान्यता तथा अनुचित श्रम प्रथा की रोकथाम अधिनियम, १९७१ के अधीन मान्यताप्राप्त संघ या संघों द्वारा चुने जायेंगे। जहाँ ऐसे मान्यताप्राप्त संघ या अनेक संघ न हो या जहाँ कोई संघ ही न हो या जहाँ संघ मान्यताप्राप्त है या नहीं है समेत ऐसे वादों के संबंध में विवाद है तब, कर्मचारियों के ऐसे प्रतिनिधि विहित रित्या उनमें से, संस्था के कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। कोई भी कर्मचारी जो निलंबन के अधीन है, वह इस परंतुक के अधीन समिति के सदस्य के रूप में चयनित या निर्वाचित किये जाने के लिये या निरंतर रहने के लिये पात्र नहीं होगा : सन् १९४७ का ११। सन् १९७२ का महा.१।

परंतु यह भी कि, तृतीय परंतुक के उपबंधों के अनुसार, चयनित या निर्वाचित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को समिति की बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार होगा लेकिन उसमें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। " ;

(ख) तृतीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

परंतु यह भी कि, सरकार की ओर उसकी शेअर पूंजी के अंशदान वाली संस्था के संबंध में समिति सरकार द्वारा नामित, निम्न दो सदस्यों को भी सम्मिलित करेगी, अर्थात् :—

(एक) सहकारी संस्थाओं के सहायक रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी का एक सरकारी अधिकारी, और

(दो) संस्था के कार्य से संबंधित अपेक्षित अनुभव और सरकार द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, जैसा कि विनिर्दिष्ट करें ऐसी अर्हता रखने वाला एक व्यक्ति :";

(ग) चतुर्थ परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ गक में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ७३ ग क की, उप-धारा (१) के, खण्ड (छह) में, "७३क " अंकों तथा अक्षरों को स्थान में, ७३ ककक अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे।

सन् २०१६ का महा. अध्या. ५।

सन् २०१६ का महा. अध्या. ५ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

५. (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१६, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधन मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उपबंधों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा.२४) की धारा ७३ ककक उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली सहकारी संस्थाओं की समितियों के गठन के लिए उपबंध करती है।

२. यह देखा गया है कि, संस्थाओं की समितियों पर कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था, जहाँ ऐसी समिति सदस्यों की संख्या सत्रह से कम थी, वहाँ ऐसी संस्थाओं के कर्मचारियों का हित दांव पर लगा था। यह भी देखा गया है कि, सरकार की ओर से उसकी शेयर पूंजी का अंशदान होनेवाली संस्थाओं में, सरकार साथ ही साथ ऐसी संस्थाओं के हितों की सुरक्षितता की दृष्टि से वहाँ पर ऐसी संस्थाओं के कार्य का अनुभव होनेवाले सरकारी अधिकारी से अन्य व्यक्ति को नामित करने की जरूरत थी। इसलिये, उक्त अधिनियम की धाराएँ २ और ७३ ककक में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया था,—

३. प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है :—

(एक) धारा २ का संशोधन :— उक्त धारा २ के खंड (१४-क) के उपबंध प्रतिस्थापित करने के लिये प्रस्तावित था कि कृत्यकारी निदेशक का तात्पर्य, संस्था के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से होगा।

(दो) धारा ७३ ककक का संशोधन .— यह उपबंध करने के लिए प्रस्तावित था,—

(क) समिति पर कृत्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए ;

(ख) पच्चीस या उससे अधिक स्थायी वैतनिक कर्मचारी होनेवाले ऐसी संस्था या संस्था के वर्गों की समिति पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए , राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट करेगी ;

(ग) सरकार की और उसकी शेयर पूंजी का अंशदान होनेवाले संस्थाओं के मामले में, संस्था के कार्य का अनुभव होनेवाली और सरकार द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ धारण करनेवाले किसी सरकारी अधिकारी और अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करनी है।

(तीन) उक्त अधिनियम की धारा ७३ गक में आनुषंगिक संशोधन करने के लिए भी प्रस्तावित था।

४. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१६ (सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ५) २ मार्च, २०१६ को प्रख्यापित किया गया था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित १० मार्च २०१६ ।

चंद्रकांत पाटील,
सहकारीता मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हैं, अर्थात् :–

खंड ३ (क) तथा (ख).—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय जिसमें महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० की धारा ७३ ककक की उप-धारा (२) में द्वितीय तथा तृतीय परंतुक रखना प्रस्तावित है, राज्य सरकार को,–

(१) परंतुक में जो द्वितीय परंतुक रखने का प्रस्तावित है, पच्चीस या उससे अधिक स्थायी वैतनिक कर्मचारी होनेवाले ऐसी संस्था या संस्था के वर्गों की समिति पर, जहाँ समिति कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के समेत, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई है ;

(२) तृतीय परंतुक रखने में प्रस्तावित परंतुक के खण्ड (२) में, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, संस्था, उसकी शेयर पूँजी के ज़रिए सरकार का अंशदान रखती है, संस्था पर के कार्य का अनुभव होनेवाली और सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन के लिये आवश्यक अर्हताएँ विनिर्दिष्ट करने की शक्ति, प्रदान की गई है ।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये, उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरुप के है ।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

विधान भवन :
मुंबई, दिनांकित १४ मार्च २०१६।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.